दोषी प्रमोटर ने 19 पीड़ित आवंटियों को लौटाए 28 लाख रुपये

राज्य ब्यूरो, जागरण • पटना : रियल एस्टेट फर्म ट्राइकलर प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ रेरा बिहार में दायर अलग-अलग निष्पादन मामलों में दोषी प्रमोटर ने 19 पीड़ित आवंटियों को करीब 28 लाख रुपये वापस कर दिए हैं। रियल एस्टेट कंपनी के वकील ने अदालत को बताया कि 19 आवंटियों से एकत्र कुल राशि का 25 प्रतिशत वापस कर दिया गया है। ट्राइकलर प्रापर्टीज पर उन पीड़ित आवंटियों का करीब 1.13 करोड़ रुपये बकाया है। मामले की पिछली सुनवाई के दौरान बिल्डर द्वारा यह वादा किया गया था कि अगली सुनवाई तक पीड़ित आवंटियों की मूल राशि का 25 प्रतिशत वापस कर दिया जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी।